Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN: 2581-6241 Volume - 4, Issue - 2, Feb- 2021
Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 3.871
Received on : 10/02/2021 Accepted on : 25/02/2021 Publication Date: 28/02/2021

भारत में व्यवसाय सुगमता का तुलनात्मक विश्लेषण

डॉ. योगेन्द्र कुमार
सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय कन्या महविद्यालय, अजमेर.
Email – dr.yogendrakumar82@gmail.com

शोध सारांश: इस शोध पत्र में व्यवसाय सुगमता Ease of Doing Business EODB रिपोर्टों में प्रयुक्त विभिन्न प्राचलों पर भारत के कार्य निष्पादन का विश्लेषण किया गया है और भारत के कार्य(निष्पादन की तुलना व्यवसाय सुगमता के विभिन्न प्राचलों पर विभिन्न देशों जैसे चीन, ब्राजील इंडोनेशिया एवं न्यूजीलैंड से की गई है इसके अतिरिक्त, अनेक अध्ययनों और सर्वेक्षणों के विवरणों का भी शोध पत्र में विश्लेषण किया गया है जो व्यवसायिक सुगमता मानकों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं।

सांकेतिक शब्द: व्यवसाय, आर्थिक विकास, कर, साख, संविदा।

1. व्यवसाय सुगमता की अवधारणा एवं परिचय :

व्यवसाय सुगमता (इज ऑफ डूइंग बिजनेस) अर्थात् निर्बाध रुप से व्यवसाय करना। जिसके अंतर्गत व्यवसाय को स्थापित करने एवं संचालन करने के लिए विभिन्न सुविधाऐं प्रदान की जाती है। इसका अर्थ देश में कारोबारी नियमों और अन्य प्रशासनिक सरलताओं से होता है। व्यवसाय सुगमता एक सूचक है, जिसे विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। जिसमें कई पैरामीटर्स होते हैं, जिनसे किसी भी देश में व्यवसाय सुगमता की स्थिति निर्धारित होती है। व्यवसाय के लिए अच्छे विनियामक को व्यवसाय सुगमता के मानकों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके दस प्रचाल निम्नानुसार है(

1. **नये व्यवसाय की शुरुआत** : इसके अंतर्गत नया व्यवसाय शुरू करने की प्रक्रिया के दौरान व्यय होने वाली राशि और व्यवसाय आरंभ करने की प्रक्रिया में लगने वाले समय का आकलन एवं अनुमान लगाया जाता है।
2. **निर्माण के लिए अनुमति** : किसी देश में एक कंपनी को वेयर हाउस या गोदाम या अन्य निर्माण कार्य के लिए कितनी सुविधा प्राप्त होती है और उसमें उसकी कितनी लागत आती है, आदि का अध्ययन किया जाता है।
3. **बिजली की उपलब्धता** : बिजली कनेक्शन मिलने में लगने वाला समय और लागत भी व्यवसाय सुगमता के अध्ययन का हिस्सा होते हैं।
4. **संपत्ति का पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन):** व्यावसायिक संपत्ति के रजिस्ट्रेशन में लगने वाले समय और खर्च पर भी व्यवसाय प्रगति निर्भर करती है।
5. **कर अदायगीः** संबंधित देश में कर व्यवस्था कैसी है। वहां कितने प्रकार के कर लिए जाते हैं तथा उन्हें भरने में लगने वाला समय जैसे विषय भी इस अध्ययन में शामिल होते हैं।
6. साख प्राप्त करनाः इस पैमाने के अंतर्गत देखा जाता है कि किसी देश में स्थापित व्यापारियों या नया व्यापार शुरू करने वालों को साख लेने के लिए किन(किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और उन्हें किन दरों पर, कितने समय में यह ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।
7. **छोटे निवेशकों की सुरक्षा** : देश में लघु उद्योग शुरू करने वाले लोगों की पूंजी की कितनी सुरक्षा की जाती है। इसका भी अध्ययन किया जाता है।
8. आयात(निर्यात की प्रक्रियाः किसी भी देश में एक राज्य से दूसरे में या फिर दूसरे देशों से माल लाने(ले जाने में किन(किन कागजी कार्यवाहियों की जरूरत और उनमें लगने वाला समय आदि का अध्ययन किया जाता हैं।
9. **अनुबंध (संविदा):** के नियमः दो कंपनियों व कारोबारियों में होने वाले अनुबंध के नियम, उसकी कार्यप्रणाली और खर्च होने वाली धनराशि को भी व्यवसाय सुगमता के लिए किये जाने वाले अध्ययन में आधार बनाया जाता है।
10. **दिवालियापन का समाधान करना:** इसके अंतर्गत कंपनियों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है।

उपरोक्त व्यवसाय सुगमता मानकों के आधार पर ही देशों की रैंकिंग निर्धारित की जाती है। वर्ष 2024-25 तक भारत की पांच ट्रिलियन डॉलर(अर्थव्यवस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए के लिए व्यवसायों के अनुकूल विनियामक वातावरण तैयार करने और उसे सरल व सहज बनाए रखने की जरूरत होगी। व्यवसाय के पिछड़ेपन में आ रही समस्याओं को समाप्त करने के लिए यह अति आवश्यक है कि व्यवसाय सुगमता के विभिन्न मापदंडों पर अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के साथ तुलनात्मक रूप से देश की प्रगति का मापन किया जाए।

2. शोध उद्देश्य:

- व्यवसाय सुगमता के मानकों का अध्ययन करना।
- व्यवसाय सुगमता में भारत का अन्य राष्ट्रों के साथ तुलनात्मक विश्लेषण करना।

विश्व बैंक द्वारा निर्धारित व्यवसाय सुगमता वाले देशों की रैंकिंग में, भारत ने वर्ष 2014 में 142 वें स्थान से आगे बढ़ते हुए वर्ष 2019 में 63वां स्थान हासिल करके व्यवसाय सुगमता में सुधार की दिशा मे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। भारत ने 10में से 7 प्राचलों पर प्रगति दर्ज की है। माल और सेवा कर, जीएसटी, और दिवालिया एवं शोधक अक्षमता संहिता, जैसे व्यवसाय सुगमता मानकों में सुधारों की सूची में शीर्ष पर हैं जिन्होंने रैंकिंग में भारत की प्रगति को प्रेरित किया।

भारत कुछ व्यवसाय सुगमता प्राचलों के मामले में पिछड़ी स्थिति में हैं, जैसाकि, व्यवसाय प्रारंभ करने की सुगमता में रैंक(136 संपत्ति का पंजीकरण में रैंक(154 करों का भुगतान में रैंक(115 और संविदाओं के पालन में रैंक(163। भारत में संपत्ति का पंजीकरण कराने में लगभग 58 दिनों का समय लगता है और संपत्ति के मूल्य का औसतन 7.8 प्रतिशत खर्च आता है तथा किसी स्थानीय प्राथमिक न्यायालय के माध्यम से किसी व्यापारिक विवाद के समाधान में एक कंपनी के 1445 दिन खर्च हो जाते हैं। ये आंकड़े समय की दृष्टि से बड़े होने के साथ(साथ ओईसीडी उच्च आय(अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में खर्चे के दृष्टिकोण से भी अधिक है।

व्यवसाय सुगमता के व्यापारिक निर्यात के प्राचल के अध्ययन में यह देखा गया कि भारतीय समुद्री पत्तन में लॉजिस्टिकस सुविधा अपर्याप्त है। परंतु आश्चर्य इस बात का है कि आयात के लिए प्रवाह, निर्यात की तुलना में अधिक कुशल है। शोध कार्य के अध्ययन से स्पष्ट है कि कस्टम क्लीयरेंस, ग्राउंड संचालन और समुद्री पत्तन पर लदाई के कार्य में कई दिन लग जाते हैं जबकि इन कार्यों में कुछ घंटे लगने चाहिए। इलैक्ट्रॉनिक निर्यात और आयात के मामला अध्ययन में बैंगलूरों एयरपोर्ट एक ऐसा उदाहरण है जो दर्शाता है कि भारत की लॉजिस्टीकल प्रक्रिया विश्व स्तरीय हो सकती है।

3. वैश्विक तुलनात्मक विश्लेषण:

भारत के कार्य निष्पादन की तुलना इसके समकक्ष देशों में चीन, ब्राजील एवं इंडोनेशिया, के साथसाथ व्यवसाय सुगमता रेंक में सर्वश्रेष्ठ श्रेणी, न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था से की गई है। भारत वर्ष 2009 से 2019 के दशक के दौरान ईओडीबी के केवल उन्हीं मापदंडों पर अच्छा प्रदर्शन करता है, जिनमें वह पहले पिछड़ा हुआ था, जैसे व्यवसाय प्रारंभ, करना संपत्ति पंजीकरण करना, करों का भुगतान करना तथा अनुबंध लागू करना आदि।

व्यवसाय स्थापना:

भारत में व्यवसाय स्थापित करने के लिए अपेक्षित प्रक्रियाओं की संख्या पिछले 10 वर्षों के दौरान 13 से घटाकर 10 कर दी गई है। वर्तमान समय में, भारत में व्यवसाय स्थापित करने के लिए औसतन 18दिन लगते हैं जबकि वर्ष 2009 में 30 दिन लगते थे। दूसरी ओर न्यूजीलैंड में व्यवसाय निगमन की एक समेकित प्रक्रिया है जो कि एक एजेंसी के साथ एकल विंडो के माध्यम से पूरी हो जाती है। न्यूजीलैंड के अन्तर्गत व्यवसाय स्थापना में एकल फार्म एवं न्यूनतम लागत के साथ केवल आधा दिन लगता है। यद्यपि, भारत ने व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए समय एवं लागत को काफी कम करने का प्रयास किया है, फिर भी इस दिशा में और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

किसी उद्यमी को भारत में कोई नया व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए 10 प्रक्रियाओं को पूर्ण करना होता है जिनमें 17 से 18 दिन लगते हैं। वही तुलनात्मक रूप से इंडोनेशिया और ब्राजील में व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए भारत से एक अतिरिक्त अर्थात 11 प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। हालांकि इनको पूरा करने में इंडोनेशिया को 14 दिन लगते है जो की भारत से चार दिन कम हैं। ब्राजील में लगभग भारत के बराबर समय लगता है। व्यवसाय प्रारंभ करने के प्राचलों में पाकिस्तान का 72वां, तुर्की का 77वां एवं श्रीलंका का 85वां रैंक है, भारत की तुलना में इन देशों में व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए आसान व सरल प्रक्रिया है।

सम्पत्ति पंजीकरण:

संपत्ति पंजीकरण के लिए भारत में 9 प्रक्रियाएं हैं और इसमें कम(से(कम 49-68 दिन लगते हैं और भारत में किसी को अपनी संपत्ति के पंजीकरण के लिए संपत्ति के मूल्य का 7.4 8.1 प्रतिशत शुल्क देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, भारत में पिछले दस वर्षों में संपत्ति पंजीकरण प्रक्रियाओं की संख्या, समय एवं लागत में काफी बढ़ोतरी हो गई है। जबकि, न्यूजीलैंड में केवल दो प्रक्रियाएं है और संपत्ति के मूल्य का 0.1 प्रतिशत निम्नतम लागत है। ब्राजील को 14 प्रक्रिया 31 दिन और संपत्ति के मूल्य के 3.6 प्रतिशत लागत के रूप में लगते है , जो कि भारत के 49- 68 दिन की तुलना में ब्राजील के 31 दिन बहुत कम समय को दर्शाता है। दूसरी और, इंडोनेशिया में केवल 6 प्रक्रिया 31 दिन व 8.3 प्रतिशत की लागत आती है। चीन में 4 प्रक्रिया, 9 दिन और लागत का 4.6 प्रतिशत लगता है। यह सभी आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत में अपनी संपत्ति का पंजीकरण करना अन्य राष्ट्रों की तुलना में कठिन है। अतः इसमें सुधार करने की अत्यंत आवश्यकता नजर आती है।

कर भुगतान:

करों का भुगतान के अध्ययन से पता चलता है कि, पिछले कई वर्षों में करों के भुगतानों की संख्या काफी कम होने अर्थात 59 से 12 होने के बावजूद भी, इस क्रियाकलाप में लगने वाले समय में कोई खास कमी नहीं हुई है। जहां एक ओर भारत में करों का भुगतान करने के लिए प्रतिवर्ष 250-254 घंटे लगते हैं, वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड में वर्ष में 140 घंटे लगते हैं। एक रोचक तथ्य यह है कि न्यूजीलैंड में करों का भुगतान करने में लगने वाला समय वर्ष 2009 से 2019 के दौरान दुगना हो गया है।करों का भुगतान संख्या के मामले में इंडोनेशिया में 26 तथा भारत के 12 की तुलना में प्रति वर्ष भुगतान की संख्या दुगने से अधिक होती है जबकि इसके नागरिक भारत की तुलना में भुगतान करने में कम समय लगाते हैं। ब्राजील की स्थिति भी कर भुगतान के मामले में विशेष रूप से खराब है। कुल देय कर (सकल लाभ की प्रतिशतता) के तुलनात्मक अध्ययन में चीन (59.2), ब्राजील (65.1) की तुलना में भारत (49.7) में कम है, जबकि इंडोनेशिया (30.1) से यह अधिक आंकी गई है।

अनुबंध लागू करना:

व्यवसाय करने के विनियामको को सुगम बनाने के लिए एक समग्र मूल्यांकन और व्यवसाय को पनपने के लिए एक परिवेश प्रदान करने के लिए सतत प्रयास एक मुख्य संरचनात्मक सुधार से होगा जो कि भारत को 8-10 प्रतिशत की वार्षिक दर से सतत विकास करने में सक्षम बनाएगा। इसके लिए प्राप्त प्रतिपुष्टि के व्यावहारिक दृष्टिकोण, नियंत्रण एवं सतत समायोजन की अपेक्षा होगी। अनुबंधें को लागू करना एक ऐसा मानदंड है जिसमे पिछले कुछ वर्षों में भारत का कार्य(निष्पादन काफी खराब रहा है। भारत में एक औसत विवाद की समस्या के समाधान में 1445 दिन लगते हैं, जबकि न्यूजीलैंड में 216 दिन लगाता हैं। भारत में किसी भी संविदा अनुबंध को लागू करने के लिए लगभग 4 वर्ष लगते हैं। जबकि अनुबंधों को लागू करने में तुलनात्मक रूप से ब्राजील को 2.2वर्ष और इंडोनेशिया 1.1 वर्ष की समयावधि लगती है। अनुबंध को लागू करने में 190 देशों में से 163 रैंक पर अफगानिस्तान, मोजाम्बिक एवं जिम्बाब्वे जैसे कुछ देशों का कार्य निष्पादन भारत से भी खराब हैं।

भारत में व्यवसाय करने में सुगमता में सबसे बड़ी बाधा अनुबंधों को लागू करने और विवादों के समाधान में इसकी अक्षमता है। एक अच्छे प्रकार से कार्य कर रही विधिक प्रणाली के संभावित आर्थिक एवं सामाजिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भारत इस दिशा में एक अच्छा निवेश कर सकता है।

निर्माण अनुमति:

दिल्ली में फैक्टरी माल गोदाम भवन को स्थापित करने के लिए प्रक्रिया में शामिल समय और लागत के अतिरिक्त लाइसेंस और परमिट प्राप्त करना, निर्माण पूरा होने पर उससे संबंधित अधिसूचना एवं निरीक्षण और उपयोगिता कनेक्शन प्राप्त करना जरूरी है। जब भारत का कार्य निष्पादन निर्माण अनुमति के अन्तर्गत ९रैंक 27) अन्य राष्ट्रों के साथ तुलना की जाती है तो निर्माण परमिट शीघ्र प्राप्त करने के मामले में विश्व बैंक की रैंकिंग के पिछले पांच वर्षों में भारत ने निर्माण कार्य से सम्बन्धित परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर सुधार किया है। हॉगकॉन्ग जो कि 1 प्रथम रैंक पर है, जो की केवल दो महीने से कुछ अधिक समय निर्माण कार्य से सम्बन्धित अनुमति देने में करता है, जबकि दिल्ली में निर्माण कार्य सम्बन्धित अनुज्ञा प्राप्त करने में लगभग चार महीने लगते हैं।

भारत में निर्माण कार्य से संबंधित परमिट मिलने की लागत के अंतर्गत 2014मे 26 प्रकिया एवं 186 दिन और 28.2 प्रतिशत थीं। जबकि 2019 में सुधार की दिशा में अग्रसर हो ते हुए 15 प्रकिया एवं 106 दिन और 4 प्रतिशत रही है।यह आंकड़े दर्शाते है कि पिछले पांच वर्षों में भारत ने निर्माण कार्य से सम्बन्धित अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया में व्यापक सुधार किया है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार :

- परिधान निर्यात करने का प्रकरण अध्ययन करने से पता लगता है की फैक्टरी से माल गोदाम तक पहुंचने में लगे कुल 41 दिनों में 19 दिन भारत में खर्च हुए, 19 दिन समुद्री यात्रा में तथा 3 दिन यू।एस। ए।में लगे। इसमें सुधार की अत्यंत आवश्यकता है।
- आयातित कालीनों के मामले का अध्ययन से प्राप्त जानकारी के अनुसार इटली में परिवहन और सीमा अनुपालन और प्रलेखन कार्य को पूरा करने में केवल एक दिन का समय लगता है, वहीं दूसरी ओर भारत में आयात प्रक्रिया को पूरा करने में आठ दिन लग जाते हैं। बहरहाल, यह रोचक बात है कि आयात प्रक्रिया में निर्यात प्रक्रिया की तुलना में कम समय लगता है।

वैश्विक रूप से, पत्तनों द्वारा माल की ढुलाई सर्वाधिक पसंदीदा साधन है और उसके बाद रेलवे और सड़कें को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि भारत में इसकी स्थिति विपरीत है। इटली सीमापार व्यापार में ईओडीपी रैंकिंग में सबसे ऊपर है।जहां भारत से निर्यातों और आयातों के लिए सीमा पर और दस्तावेजीय अनुपालन में क्रमशः 60-68 और 88-82 घंटे का समय लगता है, वहीं इटली में प्रत्येक के लिए केवल एक घंटे का ही समय लगता है। इसके अलावा, इटली में अनुपालन लागत शून्य आती है भारत के मामले में, इसकी लागत क्रमशः निर्यातों और आयातों के लिए 260-281 यूएस डॉलर और 360-373 यूएस डॉलर आती है।

भारत में माल पत्तन तक पहुंचने में 7-10 दिनों का समय लगता है, जबकि चीन, बंग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों में पत्तन तक पहुंचने में एक दिन से कम का समय लगता है इस तरह भारतीय आपूर्ति श्रंखला में बड़ी मात्रा में छोटे खेप अपर्याप्त माल मार्ग के कारण रुके पड़े होते हैं। लगभग 70 प्रतिशत विलंब निर्यातों और आयातों दोनों में पत्तन की ऐसी हैंडलिंग प्रक्रियाओं के कारण होता है जो अनिवार्यतः प्रक्रियात्मक जटिलताओं व्यापार के लिए अपेक्षित प्रक्रियाओं की अधिकता एवं जटिल दस्तावेजीय प्रक्रियाओं तथा अनुमोदन और अनुमति के लिए विविध एजेंसियों की कार्रवाई से संबंधित होती है। इस समय विलंब और प्रक्रियात्मक अक्षमताओं से अंततः व्यापार की लागत में बढ़ोतरी होती है।

4. निष्कर्षः

इस शोध पत्र में विभिन्न व्यवसाय सुगमता मानकों का तुलनात्मक अध्ययन किया हैं। शोध पत्र का विश्लेषण चार प्राचलों पर ध्यान केंद्रित करता है जहां भारत में व्यापार आरंभ करने के मामले में संपदा रजिस्ट्रकरण, करों का भुगतान करने में और संविदाओं को लागू करने में पिछड़ा है। यह दर्शाता है की विभिन्न व्यवसाय सुगमता मानकों में सुधार की व्यापक संभावना हैं। जहां भारत को संविदा नियमों को लागू करने में लगभग 4 वर्ष लगे वहीं तुलनात्मक रूप से न्यूजीलैंड में 6.1 वर्ष, इंडोनेशिया में 2.1 वर्ष, चीन में 3 वर्ष और ब्राजील 2.2 वर्ष का समय लगता हैं। संविदा को लागू करने में 190 देशों में से भारत 163 वें रैंक पर, अफगानिस्तान, मोजाम्बिक और ज़िम्बाबवे ने भारत से खराब प्रदर्शन किया है।

विभिन्न केस अध्ययन और औद्योगिक सर्वेक्षणों के विश्लेषण पुष्टि करते हैं की भारतीय समुद्री(पत्तनों में भरण और सीमा शुल्क प्रक्रिया वैश्विक मानकों से बहुत पिछड़ी हुई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत में आयात की प्रक्रिया, निर्यात की प्रक्रिया से अपेक्षाकृत बेहतर पाई गई है । यद्यपि समुद्री(बंदरगाहों पर कार्यविधियां

बहुत ही अदक्ष हैं, लेकिन ठीक इसके विपरीत हवाई अड्डों पर कार्यविधियों में अपेक्षित सुधार हुआ है। बैंगलुरू हवाई अड्डे के अध्ययन से ज्ञात, हुआ की इलेक्ट्रोनिक्स का आयात और निर्यात विश्व स्तर का पाया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्याधुनिक तकनीकों का प्रयोग कर व्यवसाय में सुगमता से जुड़ी सात चिह्नित समस्याओं को सुलझाने के लिये 'ग्रैंड चैलेंज' लॉन्च किया। इस चैलेंज का उद्देश्य युवा भारतीयों, स्टार्ट(अप्स और अन्य निजी उद्यमियों की क्षमताओं का विकास करना है, ताकि वर्तमान अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों की सहायता से जटिल समस्याओं का समाधान निकाला जा सके।

भारत सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है कि व्यावसायिक वातावरण को निरंतर बेहतर एवम् अनुकूल बनाने की प्रक्रिया में कोई अवरोध नहीं आना चाहिये। सरकार का प्रयास भारत को दुनिया के उन सबसे आकर्षक स्थलों में शामिल करवाना है, जहाँ व्यवसाय करना सबसे आसान होगा। ऐसी स्थिति में यह ग्रैंड चैलेंज सरकार के इस व्यवसाय सुगमता के लक्ष्य को प्राप्त करने में मददगार साबित होगा। ग्रैंड चैलेंज लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत को विश्व बैंक की व्यवसाय सुगमता रैंकिंग में टॉप(50 देशों में पहुंचाने का लक्ष्य रखा। जो कि वर्तमान सरकार के व्यवसाय सुगमता के मानकों में सुधार के प्रति आशावादी और सकारात्मक सोच के साथ वैश्विक स्तर पर अपनी पहुंच बनाने के उद्देश्यों को दर्शाता है।

सन्दर्भ:

1. आर्थिक समीक्षा 2019-20 अध्याय 6 खंड1.
2. https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-analysis/ease-of-doing-business
3. World Bank. "Doing Business." The World Bank Group. (Various Editions). https:// www.doingbusiness.org/en doing business.
4. Department of Commerce. "Logistics Ease Across Different States (LEADS Index)."NewDelhi,2019.https://commerce. gov.in/writereaddata/ UploadedFile/ MOC_637051086790146385_LEAD_ Report.pdf
5. Department of Commerce. "High Level Advisory Group (HLAG)." New Delhi, 2019.https://commerce.gov.in/ writereaddata/uploadedfile / MOC_637084607407371826_HLAG %20 Report%20.pdf
6. Niti Aayog. "Ease of Doing Business: An Enterprise Survey of Indian States." New Delhi, 2017. https://niti.gov.in / writereaddata/ files/ _publication/ EoDB_Single.pdf
7. https://navbharattimes.indiatimes.com/business/business-news/dedicated-task-force-in-all-ministries-to-track-ease-of-doing-business/articleshow/55429803.cms